

प्ररूप 21 ग
(नियम 64 देखिए)

(साधारण निर्वाचन में उपयोग के लिए, जब स्थान सविरोध हो)
लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 66 के अधीन निर्वाचन परिणाम की घोषणा ।

122- फलोदी विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र से राजस्थान (राज्य) की विधान सभा के लिए निर्वाचन

निर्वाचनों का संचालन नियम, 1961 के नियम 64 के साथ पठित लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 66 में अंतर्विष्ट उपबंधों के अनुसरण में, मैं घोषणा करता हूं कि-

श्री पब्वाराम विश्नोई

199, बापू नगर, फलोदी जिला - फलोदी

जो भारतीय जनता पार्टी द्वारा खड़े किए गए हैं ।

उपर्युक्त निर्वाचन-क्षेत्र से उस सदन में स्थान को भरने के लिए सम्यक् रूप से निर्वाचित हो गए हैं।

स्थान : जोधपुर

दिनांक : 03.12.2023


(डॉ अर्चना व्यास)

रिटर्निंग अधिकारी

(उपखण्ड अधिकारी एवं उपखण्ड मजिस्ट्रेट, फलोदी)

122- फलोदी विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र

रिटर्निंग ऑफिसर
122-फलोदी विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र
उपखण्ड अधिकारी एवं उपखण्ड मजिस्ट्रेट फलोदी

Form 21C

(See Rule 64)

(For use in General Election when seat is contested)

Declaration of the result of Election under section 66 of the Representation of the People Act, 1951

Election to the Legislative Assembly of Rajasthan State from the 122-Phalodi Assembly constituency.

In puesday of the provisions contained in section 66 of the Representation of the People Act, 1951, read with rule 64 of the Conduct of Elections Rules, 1961, I declare that-

Shri PABBA RAM BISHNOI

199, BAPU NAGAR, PHALODI, DIST. - PHALODI

sponsored by BHARATIYA JANATA PARTY has been duly elected to fill the seat in that House from the above constituency.

Place : Jodhpur

Date : 03.12.2023



(Dr. Archana Vyas)
Returning Officer
(Sub Divisional Officer & Sub Divisional
Magistrate, Phalodi)
122 - Phalodi Assembly Constituency

रिटर्निंग ऑफिसर
122-फलोदी विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र
उपखण्ड अधिकारी एवं उपखण्ड मजिस्ट्रेट फलोदी